Mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/SAMB/0838/2026-NYN-SAMB/ **भोपाल, दिनांक - हस्ताक्षरित दिनांक** 07/5/2026

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)

विषयः- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में।

संदर्भः- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक - 04/05/2026।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना (छायाप्रति संलग्न) से मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधन प्रारूप अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, प्रकाशित किया गया है। संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा। राजपत्र की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः आपके संभाग अंतर्गत मंडी समितियों में उपरोक्त अधिसूचना को सहज दृष्टिगोचर स्थल पर प्रदर्शित करें एवं उक्त समयावधि में प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव, शीघ्र/ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Suresh Kumar Kumre
Date: 06-05-2026
11:48:22

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/SAMB/0838/2026-NYN-SAMB/ **भोपाल, दिनांक - हस्ताक्षरित दिनांक** 07/5/2026

प्रतिलिपि – **कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

3. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। कृपया वेबसाईट पर अपलोड कराए।
4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ....(समस्त)।

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116] भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 मई 2026—वैशाख 14, शक 1948

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2026

क्रमांक SAMB/0041/2025-NYN-SAMB(1145090)/636 :- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (उनतीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतदद्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा या प्रबंध संचालक द्वारा यथा निदेशित किए गए अनुसार विचार किया जाएगा।

<u>प्रारूप संशोधन</u>

1. नियम 2 में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"(घ-1) "आवक" से अभिप्रेत है, मंडी समिति में समस्त अधिसूचित कृषि उपज की सभी प्रकार की प्राथमिक आवक;

(घ-2) "वार्षिक आवक" से अभिप्रेत है, पूर्ववर्ती तीन वर्षों की औसत आवक;"

2. नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"3. मंडी समिति का वर्गीकरण -

मंडी समिति अधिनियम के सभी प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत होगी-

(क) "क" वर्ग मंडी समिति, जिसकी

i. वार्षिक आय छः करोड़ रुपये से अधिक हो, तथा

ii. वार्षिक आवक दो लाख पचास हजार मीट्रिक टन से अधिक हो;

(ख) "ख" वर्ग मंडी समिति, जिसकी

i. वार्षिक आय तीन करोड़ रुपये से अधिक किंतु छः करोड़ रुपये से अनधिक हो, तथा

ii. वार्षिक आवक एक लाख पच्चीस हजार मीट्रिक टन से अधिक किंतु दो लाख पचास हजार मीट्रिक टन से अनधिक हो;

(ग) "ग" वर्ग मंडी समिति, जिसकी

i. वार्षिक आय एक करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक किंतु तीन करोड़ रुपये से अनधिक हो, तथा

ii. वार्षिक आवक पचास हजार मीट्रिक टन से अधिक किंतु एक लाख पच्चीस हजार मीट्रिक टन से अनधिक हो;

(घ) "घ" वर्ग मंडी समिति, जिसकी

i. वार्षिक आय एक करोड़ पचास लाख रुपये से अनधिक हो, तथा

ii. वार्षिक आवक पचास हजार मीट्रिक टन से अनधिक हो :

परंतु यदि वार्षिक आय और वार्षिक आवक के आधार पर मंडी समिति भिन्न-भिन्न वर्गों में वर्गीकृत होती है, तो निम्नतर वर्ग मान्य होगा।

परंतु यह भी कि पूर्व में वर्गीकृत कोई भी मंडी समिति इस नियम के संशोधन के प्रारंभ होने के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के लिए निम्नतर वर्ग में वर्गीकृत नहीं की जाएगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2026

क्रमांक SAMB–0041–2025–NYN–SAMB (1145090)–637.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 4 मई 2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, सचिव.

Bhopal the 4th May 2026

No. SAMB/0041/2025-NYN-SAMB(1145090)/ 637 :- The following draft of amendment in the **Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Vargikararan) Rules, 2009**, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxix) of sub-section (2) of Section 79 read Section the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on the expiry of fourteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government or the Managing Director.

DRAFT OF AMENDMENT

1. **In rule 2, after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-**

"(d-2) "arrival" means all kinds of primary arrivals of all notified agricultural produce in the Market Committee;

(d-2) "annual arrival" means an average arrival of the preceding three years;"

2. **For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-**

"3. Classification of Market Committee.--

"The Market Committee shall, for all the purposes of the Act, be classified as follows:–"

(a) **"A" Class Market Committee** having

i. annual income of more than rupees six crore, ***and***

ii. annual arrival of more than two lakh fifty thousand metric tonne;

(b) **"B" Class Market Committee** having

i. annual income of more than rupees three crore fifty lakhs but not exceeding rupees six crores, ***and***

ii. annual arrivals of more than one lakh twenty-five thousand metric tons but not exceeding two lakh fifty thousand metric tons.

(c) **"C" Class Market Committee** having

i. annual income of more than rupees one crore fifty lakhs but not exceeding rupees three crore fifty lakhs, ***and***

ii. annual arrivals of more than fifty thousand metric tons but not exceeding one lakh twenty-five thousand metric tons.

(d) **"D" Class Market Committee** having

i. annual income not exceeding rupees one crore fifty lakhs, ***and***

ii. annual arrivals not exceeding fifty thousand metric tons.

Provided that, on the basis of annual income and annual arrivals, a Market Committee falls into different classes, the **lower class shall be applicable.**

Provided further that no Market Committee classified earlier shall, consequent upon the commencement of amendment of this rule, be classified in a lower class for the current financial year."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

NISHANT WARWADE, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.